

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री अमृता खंडेलवाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 02 / 2026
दायर दिनांक : 27.02.2026
निर्णय दिनांक : 06.03.2026

1. बंशी लाल मीना पुत्र रामप्रताप मीना जाति मीना निवासी ग्राम रामबास तहसील सैथल जिला दौसा राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाके ग्राम रामबास तहसील सैथल जिला दौसा में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 91 की भूमि खसरा नम्बर 1066/2 रकबा 1.9900 है0, खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1216 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1217 रकबा 0.3500 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.3400 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमि के खातेदारी में प्रार्थी का नाम बंशी लाल मीना पुत्र रामप्रताप की जगह राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का बोलता नाम बंशी पुत्र प्रतापा दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड प्रार्थी का नाम बंशी लाल मीना पुत्र रामप्रताप ही दर्ज है। प्रार्थी सरकारी योजनाओं केसीसी का लाभ लेने से वंचित हो रहा है जिसे दुरुस्त करवाकर बंशी लाल मीना पुत्र रामप्रताप दर्ज करना आवश्यक हो गया जिसके लिये प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट तैयार कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 91 की भूमि खसरा नम्बर 1066/2 रकबा 1.9900 है0, खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1216 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1217 रकबा 0.3500 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.3400 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील सैथल जिला दौसा में प्रार्थी का नाम बंशी पुत्र प्रतापा के स्थान पर बंशी लाल मीना पुत्र रामप्रताप राजस्व रिकॉर्ड में तहसीलदार सैथल को दुरुस्त फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार सैथल द्वारा पत्रांक:—भू0अ0/2026/308 दिनांक 06.03.2026 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किया गया कि ग्राम रामबास जमाबंदी संवत् 2070-73 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थाई अनुसार खाता नम्बर 91 में खसरा नम्बर 1066/2 रकबा 1.99 है0, खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 1216 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 1217 रकबा 0.35 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.34 है0 बंशी पुत्र प्रतापा

B.L.
उपखण्ड अधिकारी
सैथल

हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है प्रार्थी के दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम बंशी लाल मीना पुत्र रामप्रताप किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत है।

प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 91 की भूमि खसरा नम्बर 1066/2 रकबा 1.9900 है0, खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1216 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1217 रकबा 0.3500 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.3400 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील सैंथल जिला दौसा में प्रार्थी का नाम 'बंशी पुत्र प्रतापा' के स्थान पर 'बंशी लाल मीना पुत्र रामप्रताप' दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा तहसीलदार सैंथल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि खाता संख्या 91 की भूमि खसरा नम्बर 1066/2 रकबा 1.9900 है0, खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1216 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1217 रकबा 0.3500 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.3400 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील सैंथल जिला दौसा में प्रार्थी का अंकित नाम बंशी पुत्र प्रतापा के स्थान पर बंशी लाल मीना पुत्र रामप्रताप दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सैंथल को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 91 की भूमि खसरा नम्बर 1066/2 रकबा 1.9900 है0, खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1216 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 1217 रकबा 0.3500 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.3400 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील सैंथल जिला दौसा में अंकित प्रार्थी नाम बंशी पुत्र प्रतापा के स्थान पर बंशी लाल मीना पुत्र रामप्रताप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार सैंथल को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(सुश्री अमता खिडेलवाल)
उपखण्ड अधिकारी, सैंथल